

क्रमांक:एस.एस.ई./2010/  
S.No.S.S.E/2010/

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION  
विषयवार निष्पादन का विवरण  
STATEMENT OF SUBJECT WISE PERFORMANCE  
माध्यमिक स्कूल परीक्षा, 2010  
SECONDARY SCHOOL EXAMINATION, 2010

नाम Name

माता का नाम Mother's Name

पिता का नाम Father's Name

जन्म तिथि Date of Birth

विद्यालय School

अनुक्रमांक Roll No.

विषय कोड Subject Code	विषय Subject	ग्रेड Grade	ग्रेड बिंदु (जी पी) Grade Point (GP)

संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सी जी पी ए)/Cumulative Grade Point Average (CGPA)  
परिणाम/Result

AB : विषय में अनुपस्थित Absent in the Subject

\*\* : सिद्धांत / प्रायोगिक कौशल / प्रायोगिक / आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित  
Absent in Theory / Practical Skill / Practical / Internal Assessment

दिल्ली Delhi

दिनांक Dated

परीक्षा नियंत्रक  
Controller of Examinations

टिप्पणी/Note:- सीजीपीए अध्ययन की योजना के अनुसार अतिरिक्त छठे विषय को छोड़कर सभी विषयों में अर्जित ग्रेड बिंदुओं का औसत है।

The CGPA is the average of Grade Points obtained in all the subjects excluding additional 6<sup>th</sup> subject as per Scheme of Studies.

ग्रेड बिंदु की निर्देशात्मक समानता तथा अंकों की प्रतिशतता को निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता है :

An indicative equivalence of Grade Point and Percentage of Marks can be assessed as follows:

- विषयवार अंकों की निर्देशात्मक प्रतिशतता =  $9.5 \times$  विषय का जीपी  
Subject wise indicative percentage of marks =  $9.5 \times$  GP of the subject.
- अंकों की समग्र निर्देशात्मक प्रतिशतता =  $9.5 \times$  सीजीपीए  
Overall indicative percentage of marks =  $9.5 \times$  CGPA.

## टिप्पणी/Note:

1. बाह्य परीक्षा के विषयों में निम्नानुसार ग्रेड प्रदान किए गए हैं :-

The Grades have been awarded in the subjects of External Examination as follows:-

MARKS RANGE	GRADE	GRADE POINT
91-100	A1	10
81-90	A2	9
71-80	B1	8
61-70	B2	7
51-60	C1	6
41-50	C2	5
33-40	D	4
21-32	E1	---
20 and below	E2	---

2. (क) प्रायोगिक रहित विज्ञान जिसके लिए अधिकतम 60 अंक हैं को छोड़कर बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। विज्ञान में, प्रायोगिक परीक्षा 40 अंक की होती है जिसके दो घटक होते हैं - 20 अंक स्कूल आधारित प्रायोगिक परीक्षा के लिए तथा 20 अंक प्रायोगिक कौशल पर आधारित बाह्य परीक्षा के लिए। समाज विज्ञान तथा गणित में प्रत्येक विषय में से स्कूल आधारित निर्धारण के लिए 20 अंक उद्धिष्ट हैं। विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी को कम से कम डी ग्रेड प्राप्त करना चाहिए।
- (ख) (a) Maximum marks for each subject of External Examination are 100 except in the case of Science without practicals for which maximum marks are 60. In Science, Practical Examination is of 40 marks having two components - 20 marks for School based Practical Examination and 20 marks for Practical Skill based External Examination. In Social Science and Mathematics 20 marks are earmarked for School based assessment in each subject. To qualify in a subject, a candidate must obtain minimum of grade D.
- (ख) जिन परीक्षार्थियों ने बाह्य परीक्षा के विषयों में ग्रेड ई1 या ई2 प्राप्त किया है उन विषयों में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम अगले पांच प्रयासों के द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा।
- (ब) Those candidates who have obtained grade E1 or E2 in the subjects of External Examination shall have to improve their performance through maximum of five subsequent attempts to qualify the subject(s).
- (ग) नियमित परीक्षार्थियों के संबंध में कार्य अनुभव, कला शिक्षा तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का निर्धारण आंतरिक रूप से विद्यालयों द्वारा किया जाना है तथा इन विषयों में उपलब्धियों को विद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रमाण पत्र में दर्शाया जाएगा। प्राइवेट, पत्राचार विद्यालय तथा प्रौढ़ विद्यालय के परीक्षार्थियों को स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रमाण पत्र से छूट है।
- (घ) Work Experience, Art Education and Physical and Health Education are assessed internally by the schools for regular candidates and achievements in these subjects would be reflected in the CERTIFICATE OF SCHOOL BASED EVALUATION to be issued by the school. Private, Patrachar Vidyalaya and Adult School candidates are exempted from CERTIFICATE OF SCHOOL BASED EVALUATION.
3. (क) अतिरिक्त छठा विषय लेने वाले विद्यार्थी के मामले में निम्नलिखित मापदण्ड लागू होंगे :-
- (ख) In respect of candidates offering an additional 6<sup>th</sup> subject, the following norms shall apply:
- अतिरिक्त विषय के रूप में ली जाने वाली भाषा में अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में विद्यार्थी उस भाषा को प्रतिस्थापित कर सकता है बशर्त कि प्रतिस्थापन के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रेजी अथवा हिंदी एक भाषा के रूप में हो।
- A language offered as an additional subject may replace a language in the event of a candidate not qualifying in the same provided after replacement the candidate has English/Hindi as one of the languages.
- (ख) अर्हक प्रमाण पत्र के लिए पात्र बनने के लिए परीक्षार्थी को अध्ययन की योजना के अनुसार अतिरिक्त छठे विषय को छोड़कर सभी विषयों में कम से कम ग्रेड 'डी' प्राप्त करना चाहिए।
- (ब) To be eligible for Qualifying Certificate, a candidate must obtain minimum of Grade D in all the subjects excluding additional 6<sup>th</sup> subject as per Scheme of Studies.
- (ग) अर्हक प्रमाण पत्र प्राप्त कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- (घ) Those awarded a Qualifying Certificate shall be eligible for admission in Class XI<sup>th</sup>.
4. जो विद्यार्थी अगले प्रयासों के लिए पंजीकरण नहीं कराते हैं उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। मार्च/जुलाई में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचित सारणी के अनुसार, नियमित एवं पत्राचार विद्यालय परीक्षार्थियों को अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित शुल्क के साथ विद्यालय/पत्राचार विद्यालय के माध्यम से भेजने चाहिए तथा प्राइवेट परीक्षार्थियों को सीधे बोर्ड को भेजने चाहिए। यदि परीक्षार्थी प्रयास के लिए पंजीकृत नहीं होता है और परीक्षा में शामिल होता है तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।
- Candidates not having registered for subsequent attempts will not be allowed to appear at the examination. Regular and Patrachar Vidyalaya candidates should send their applications through school/ Patrachar Vidyalaya and private candidates direct to the Board as per the schedule notified on Board's website for the examination to be held in March/ July on the prescribed form along with the requisite fee. In case a candidate is not registered for the attempt and appears, his/her examination will be cancelled.
5. जो परीक्षार्थी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुआ है अपने ग्रेड (ग्रेडों) के सत्यापन के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन कर सकता है। परीक्षार्थी द्वारा ऐसा आवेदन प्रति विषय रु 100/- के शुल्क के साथ मार्च में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि से 21 दिन के अंदर तथा जुलाई में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन के अंदर भेजने चाहिए।
- A candidate who has appeared at the examination conducted by the Board may apply to the Regional Office concerned for verification of his/her grades. Such an application must be sent by the candidate with a fee of Rs. 100/- per subject within 21 days from the date of declaration of result for the examination held in March and 15 days for the examination held in July.